

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub—section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2907] No. 2907] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 13, 2017/आश्विन 21, 1939 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 2017/ASVINA 21, 1939

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन स"ाक्तिकरण विभाग अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

का.आ. 3322(अ).—जबिक, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100, द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने संख्या जी.एस.आर. 591(अ) (दिनांक 15 जून, 2017 (यहां से कथित नियमों के रूप में उल्लेख के पश्चात) द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2017 अधिसूचित किया है।

और जबिक, कथित नियमों का नियम 41उक्त अधिनियम की धारा 86 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय निधि के प्रबंधन हेतु भाराीनिकाय उपलब्ध कराते है।

अब, इसलिए उक्त नियमों के नियम 41 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भाासीनिकाय के सदस्यों के रूप में नियुक्त या नामित (जैसा भी मामला हो) करती है:—

नियम 41 के उप नियम (1) के खंड (ए) के अंतर्गत;				
1.	सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय;	अध्यक्ष		
नियम 41 के उप नियम (1) के खंड (बी) के अंतर्गत;				
2.	अध्यक्ष, स्वपरायणता, प्रमस्तिश्क घात,मानसिकमंदता और बहु–दिव्यांगता ग्रसित व्यक्तियों के कल्याण	सदस्य		
	के लिए राश्ट्रीय न्यास बोर्ड;			
नियम 41 के उप नियम (1) के खंड (सी) के अंतर्गत;				
3.	वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य		
नियम 41 के उप नियम (1) के खंड (डी) के अंतर्गत;				
4.	संयुक्त सचिव, वित्तसेवा विभाग, वित्त मंत्रालय;	सदस्य		
5.	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय;	सदस्य		

6231GI/2017 (1)

नियम 41 के उप नियम (1) के खंड (ई) के अंतर्गत;				
6.	श्री वेन्नापुसा श्रीनिवासुलु रेड्डी, डी.नं. 6—53, संधुबावी स्ट्रीट, नियर देवाथा महल, नादिमुर, विंजामुर,	सदस्य		
	एसपीएसआर नैल्लोर— 524228 आंध्रप्रदेश			
	(चिरकालिक तत्रिका दशाओं का प्रतिनिधित्व)			
7.	श्री अमित भार्मा, मकान नं. 119, सैक्टर—11, चंडीगढ़	सदस्य		
	(बौद्धिक दिव्यांगताओं का प्रतिनिधित्व)			
नियम 41 के उप नियम (1) के खंड (एफ) के अंतर्गत;				
8.	संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	संयोजक और		
		मुख्य कार्यकारी		
		अधिकारी		

[मिसिल सं. 16—12 / 2017—डीडी—III] डौली चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

S.O. 3322(E).—WHEREAS, in exercise of the powers conferred by section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government has notified the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 *vide* number G.S.R. 591 (E), dated the 15th June, 2017 (herein after referred to as the said rules);

AND WHEREAS, rule 41 of the said rules provides for a governing body to manage the National Fund constituted under section 86 of the said Act;

NOW, THEREFORE, in pursuance of rule 41 of the said rules, the Central Government hereby appoints or nominates, as the case may be, the following persons as members of the governing body, with effect from the date of publication of this notification, namely:-

Und	er clause (a) of sub-rule (1) of rule 41;	
1.	Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment;	Chairperson
Unde	r clause (b) of sub-rule (1) of rule 41;	
2.	Chairperson, Board of National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities;	Member
Unde	r clause (c) of sub-rule(1) of rule 41;	
3.	Financial Advisor, Ministry of Social Justice and Empowerment;	Member
Unde	r clause (d) of sub-rule (1) of rule 41;	
4.	Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance;	Member
5.	Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare;	Member
Unde	r clause (e) of sub-rule (1) of rule 41;	

6.	Sh. Vennapoosa Sreenivasulu Reddy, D.No 6-53, Sandu Bavi Street, near Devatha Mahal, Nadimur, Vinjamur, SPSR Nellore - 524228 Andhra Pradesh (representing chronic neurological conditions)	Member		
7.	Sh. Amit Sharma, H.No 119, Sector 11, Chandigarh (representing intellectual disability)	Member		
Under clause (f) of sub-rule (1) of rule 41;				
8.	Joint Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment.	Convener and Chief Executive Officer		

[F. No. 16-12/2017-DD-III]

DOLLY CHAKRABARTY, Jt. Secy.